



न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकारी –सह– भूमि सुधार उप समाहर्ता  
बसिया, (गुमला)।

आदेश

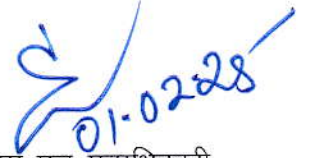
विषय :— नीलाम पत्र से संबंधित वादों के स्थानांतरण के संबंध में।

उपायुक्त, गुमला के ज्ञापांक 7098/गो0, गुमला, दिनांक 14.08.2023 के अनुसार नीलाम पत्र वाद में दर्ज राशि के अनुरूप वादों की सुनवाई हेतु संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान की गई वित्तीय शक्तियाँ के आधार पर नीलाम पत्र पदाधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है, जो निम्नवत् है :—

- |                           |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| 1. अंचल अधिकारी           | — | 50000 रु0 से कम   |
| 2. कार्यपालक दण्डाधिकारी  | — | 50001 से 2.50 लाख |
| 3. भूमि सुधार उप समाहर्ता | — | 2.50 लाख से 5 लाख |
| 4. अनुमण्डल पदाधिकारी     | — | 5 लाख से 20 लाख   |
| 5. जिला स्तरीय पदाधिकारी  | — | 20 लाख से ऊपर     |

इस नीलाम पत्र वाद में दर्ज राशि अधोहस्ताक्षरी को प्रदत्त वित्तीय शक्ति से कम है और इनके लिए संबंधित पदाधिकारी अंचल अधिकारी, बसिया है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में इस नीलाम पत्र वाद के नियमानुसार सुनवाई हेतु संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी को प्रेषित करते हुए अधोहस्ताक्षरी के लॉगिन से हटाया जाता है।

  
01.02.28

नीलाम पत्र पदाधिकारी

—सह—

भूमि सुधार उप समाहर्ता  
बसिया।